राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 26.10.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 26.10.2015 में योजनाओं में वित्तीय प्रगति तथा योजना स्वीकृत करने की समीक्षा की गयी। इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में विभिन्न इन्जिनियरिंग कालेजों के साथ बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अंतिम आदेश शीघ्र जारी करायें।

(एसई,आईएवाई)

2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। पूर्व में जारी पंचायतीराज से कारण बताओं नोटिस पर आगे की कार्यवाही करायी जाए। पंचायतराज विभाग द्वारा योजना प्रभारियों से टिप्पणी मांगी गयी है।

   आवास योजना में अब तक 93000 रजिस्ट्रेशन के विरू द्ध 42000 की स्वीकृति जारी कर 19027 परिवारों को प्रथम किश्त रिलीज की गयी। आवास सोफ्ट के संबंध में जिन जिलों में कठिनाई आ रही है उनकी ट्रेनिंग करायी जाए। पीएफएमएस में विलम्ब हो रहा है। इसकी कठिनाई को दूर करने हेतु भारत सरकार को अवगत करवाया गया है लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

3. योजना में वर्ष 2014–15 के सभी स्वीकृतियों हेतु लक्ष्य के अनुरूप 31 अक्टूबर 2015 तक समस्त स्वीकृतियॉं जारी करायी जाए तथा अल्पसंख्यक परिवारों के लक्ष्य के संबंध में स्थिति की समीक्षा कर लक्ष्य सरेन्डर हेतु भारत सरकार को लिखा जाए।

(एसई, ग्रा.वि.)

4. एमएलए लैड व एमपी लैड योजना में कार्यो की अभिशंषा करने हेतु सबधित माननीय विधायक/सांसद को पासवर्ड उपलब्ध कराये जाऐ। पासवर्ड उपलब्ध होने पर मा0 मंत्री महोदय की ओर से माननीय विधायकों/सांसदों को पत्र जारी किया जाए, जिससे वे अपने अनुशंषा सीधे ही आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में डाल सके। जिससे कि कार्य की स्वीकृति समय पर निकल सके।

(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)

5. डांग, मगरा, मेवात,बीएडीपी, एमपी लैड, एमएलए लैड, गुरू गोलवलकर जनभागीदारी, स्वविवेक योजना में जिन मामलों में स्वीकृति एएस/एफएस में अन्तर है उनकी पहचान कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करावें तथा परियोजना अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर वार्षिक आवंटन की 150 प्रतिशत की स्वीकृतियॉं जारी करायें।

(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)

6. ए– ऐसी ग्राम पंचायते (1316) जिनमें में टेण्डर प्रकिया पूर्ण नहीं हुई है। उनकी समीक्षा करें एवं उन्हें पत्र जारी करा कर उनकी टेण्डर प्रकिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए। टेण्डर प्रकिया पूर्ण नहीं करने के आरोप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

7. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 178 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इन्हें वैबसाईट पर डाला जाए।

(पीडी,एसएपी)

8. डांग, मगरा, मेवात, बीएडीपी में अतिरिक्त आवंटन बीएडीपी में 40 लाख व डांग, मगरा, मेवात 10–10 करोड की राशि की स्वीकृतियों हेतु आगामी कार्यवाही की जाए।

(अति0मुख्य अभि0 ग्रा.वि.)

9. बीएडीपी में राशि 130 करोड की स्वीकृतियॉं जारी हुई है तथा प्रस्ताव उपलब्ध है इनकी 30 अक्टूबर 2015 तक स्वीकृतियॉं जारी की जाए।

(योजना प्रभारी)

10. जिला प्रभारी को निर्देशित किया जाये कि कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में नई ग्रामीण कार्य निर्देशिका लागू होने के बाद आ रही कठिनाईयों की सूचना वर्ष 2015–16 के भ्रमण पर जा रहे समस्त जिला प्रभारी/योजना प्रभारी लेकर आयें।

(जिला प्रभारी/योजना प्रभारी)

11. विधान सभा प्रश्नों को तुरंत निस्तारण कराया जाए। मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन अनुभाग–4 व एसएपी अनुभाग–9 लम्बित प्रश्नों का निस्तारण कराये।

(योजना प्रभारी)

12. दिनांक 19.10.2015 को परियोजना अधिकारियों की आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कर भिजवाया जाए।

(एसई, ग्रा.वि.)

13. इस माह सबसे कम प्रगति वाले 8 जिलों में से 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मुख्यालय पर बुलाकर बैठक आयोजित की जाए।

14. आजीविका परियोजना में 3–4 अधिकारी एक जिले में 3 दिवस का स्टे कर उस जिले में आ रही समस्याओं का निस्तारण करते है उसी प्रकार ग्रामीण विकास योजनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु सबसे कम प्रगति वाले जिलों में अधिकारियों का एक दल भेजा जाए और वह 3 दिवस तक जिले में रहकर जिले की समस्त कठिनाईयों का समाधान कर प्रगति को बढाये।

(योजना प्रभारी)

15. सभी योजना प्रभारी 150 प्रतिशत राशि की स्वीकृतियाँ जारी कराने के आदेश कराए। आईडब्ल्यूएमएस में आवंटन को 150 प्रतिशत करने के निर्देश दिये गये ताकि 150 प्रतिशत तक स्वीकृतियाँ जारी हो सके।

(समस्त योजना प्रभारी)

16. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर पर समीक्षा की जाएगी।

(वित्तीय सलाहकार)

17. विभागीय वैबसाईट सही ढंग से नहीं खुलती है। इसे ठीक किया जाए। नवीनतम सूचनाएँ अधिकतम 15 दिवस तक रखी जाए।

(प्रोग्रामर)

परि0निदे0 एवं पदेन
उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता (सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)